HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9556/2026
CNR: RJHC020579602026 | URN: CRLMB / 17745U / 2026

Laxman Jatav S/o Sukh Chand Jatav, Aged About 26 Years, R/o Boontoli, Ps Laxmangarh, District Alwar (Raj.) (At Present Confined In District Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP Mr. Rameshwar Prasad Kharol

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **179/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 333, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से आरोप–पत्र की प्रति पर इंगित कार्यालय आपत्ति को दूर करने के लिए प्रार्थना–पत्र संख्या **01/2026** पेश किया गया है, जिस पर सुना गया।

प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि पीड़िता 20 वर्ष की विवाहिता महिला है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुष्कर्म की घटना की कोई तिथि अथवा समय आदि उसके द्वारा नहीं बताए गए हैं। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता न्यायालय में परीक्षित हो चुकी है तथा उसने अपने साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से इन्कार कर दिया है तथा उसके पिता/परिवादी ने भी प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता से सर्वथा इन्कार किया है। उनका तर्क है कि जिस मोबाइल फोन से तथाकथित वीडियो बनाना एवं फोटो लेना बताया गया है, वह बरामद नहीं हुआ है तथा जिस मोबाइल फोन पर तथाकथित अश्लील क्लिपिंग प्राप्त करना बताया है, वह भी पीड़िता के पति की ओर से अन्वेषण के काल में पेश करने से इन्कार कर दिया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी श्री खारोल ने प्रकट किया कि यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि यद्यपि पीड़िता पक्षद्रोही रही है परंतु फिर भी उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों से इन्कार नहीं किया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता अंकित है। उसके विरूद्ध गम्भीर अपराध का आरोप है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण की पीड़िता लगभग 20 वर्ष की विवाहिता महिला है। प्रकरण में पीड़िता के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं, जिसमें उसने अपने साथ किसी भी प्रकार की बलात्कार की घटना होना अथवा किसी प्रकार का फोटो लेने एवं आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के तथ्य से सर्वथा इन्कार किया है। उसकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। प्रार्थी दिनांक 24.05.2026 से

अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **लक्ष्मण जाटव पुत्र सुखचन्द जाटव** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

31/AJAY KUMAR SINGHAL